न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, रेवदर (1)

बइजलास रामजीभाई कलबी, R.A.S.

वादी

श्रीमती शारदा देवी
बेवा जवाहरलालजी
निवासी सड़वाड़ा, तहसील-रेवदर

बनाम

प्रतिवादीगण
1. डीलीप कुमार पुत्र धर्मचन्दजी
2. मोहनलाल पुत्र धर्मचन्दजी
3 राजस्थान स्टेट,

अधिवक्ता- श्री दिनेश कुमार, गर्ग – वादी
श्री शाकिर हुसैन – प्रतिवादी

"वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम"

राजस्व वाद सं. – 64/13

दिनांक:– 08-02-2021

वादीया ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गाँव सिरोड़ी, पटवार हल्का-सिरोड़ी, क्षेत्र, तहसील-रेवदर जिला- सिरोही में वादीया के खातेदारी कृषि भूमि कब्जे काश्त की खाता संख्या 123 [illegible] सं. – 58/ रकबा- 07 बीघा 17 बिस्वा, [illegible] खाता सं. – [illegible] रकबा- 10 बीघा- 13 बिस्वा [illegible] पस्त, चाही 2,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.03.06 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर

PTO

(2)

खसरा सं. 583 रकबा - 8 बिस्वा, किस्म - का. चा.
कुल - किता - तीन कुल रकबा - 18-18 बीघा लगान 51.47 रुपये कृषि आराजी आई हुई है।

उपरोक्त आराजी सन् 1961 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सं. - 33 दिनांक 3.5.1961 को वादिया के ससुर एवं प्रतिवादी सं. - एक व दो के पिता श्री धर्मदत्त पुत्र श्री जगेश्वरजी ने आराजी पूर्व खातेदारान से खरीद कर कब्जा आराजी प्राप्त किया था। आराजी श्री धर्मदत्तजी ने अपने स्वयं की कमाई से खरीद की थी। उपरोक्त आराजी खरीद के समय प्रतिवादी सं. एक की आयु मात्र - छः वर्ष व प्रतिवादी सं. दो की आयु 20 वर्ष की थी।

उपरोक्त आराजी खरीदने के बाद से उपरोक्त आराजी पर श्री धर्मदत्तजी व वादिया के पति श्री जवाहरलालजी का कब्जा व काश्त लगातार चला आ रहा है तथा श्री जवाहरलालजी के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त आराजी पर वादिया का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. एक 20 वर्ष की आयु में कृपालुजी महाराज के साथ उनके आश्रम में बिहार चले गये थे तथा दो अपने 9 वर्ष की आयु में ही मुम्बई चले गये थे तथा पिछले लम्बे समय से प्रतिवादीगण उपरोक्त अपने - अपने निवास स्थान पर रहे है। इनका उपरोक्त आराजी के किसी भी हिस्से पर आज दिन तक किसी [illegible] कोई कब्जा काश्त नहीं रही है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.03.06 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested

P.T.O.

(3)

उपरोक्त आराजी स्व. श्री धर्मदत्तजी ने अपनी स्वयं की कमाई से अर्जित की थी जिसके श्री धर्मदत्तजी ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 21.10.2001 को निष्पादित की थी तथा उक्त वसीयत के जरिये उपरोक्त आराजी वादीया के पति श्री जवाहरलाल के हिस्से में की गई थी तथा श्री जवाहरलाल के नाऔलाद स्वर्गवास के बाद उपरोक्त आराजी वादीया को हुई है। प्रतिवादी सं. एक पिछले करीब 6 साल से गांव सनवाड़ा में निवास कर रहा है तथा प्रतिवादी सं. एक का उपरोक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए भी मात्र राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने से प्रतिवादी सं. एक ने वादीया के बिना बताये एमजीबी ग्रामीण बैंक सिरोड़ी से ऋण ले रखा है जिसकी जानकारी वादीया को 22.04.2013 को उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर हुई।

वादीया का वाद आधार वादीया के इन कथनों पर आधारित है कि वादीया का विवादित आराजी पर अपने पति के व ससुर के समय से पिछले 45 सालों से लगातार कब्जा काश्त होने तथा प्रतिवादीगण पिछले करीब 30 साल पूर्व से बाहर गांव निवास करने तथा आराजी पर कभी भी उनका कब्जा काश्त नहीं होने से तथा प्रतिवादीगण की जानकारी में वादीया का विवादित आराजी पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त होने से वादीया को उपरोक्त आराजी के संबंध में एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त के आधार पर भी खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.03.06 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर

PTO

उपरोक्त आराजी वादीया के ससुर श्री धर्मदत्तजी के स्वअर्जित सम्पत्ति होने से तथा श्री धर्मदत्तजी द्वारा वादीया के पति श्री जवाहरलालजी के हक में वसीयत करने से तथा श्री जवाहरलालजी के स्वर्गवास होने से तथा वादीया खातेदार हक हो चुकी है। प्रतिवादीगण को वादीया के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने तथा वादीया के कब्जे काश्त को चुनौती देने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है।

उपरोक्त कारणों से वादीया को खातेदारी हकों की घोषणा एवं प्राप्त करने स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना पड़ा है।

प्रतिवाद की तरफ से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अग्रीम कार्यवाही की है।

वादीया ने प्रदर्श-1 से प्रदर्श-9 पेश किए गए। जिसे शामिल मिसल किया एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र को भी शामिल मिसल किया गया है।

बहस के दौरान वादीया के अधिवक्ता ने बताया कि उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त के आधार पर वादीया की खातेदारी की घोषणा कि जाए।

विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान सम्पूर्ण दस्तावेजों का सन्दर्भ दिया गया, जिसे हमने ध्यानपूर्वक गौर से सुना गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.03.06 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested

P.T.O.

हमने पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों, प्रदर्शों एवं बयान आदि एवं अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए बहस आदि का अवलोकन किया।

अवलोकन करने के पश्चात हमने एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा के सम्बन्ध में निम्न दृष्टान्त का अवलोकन किया।

2011(2) RRT 721

Jagdish & ors. vs Shri SitaRam ors.

"प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी की घोषणा नहीं की जा सकती है" वादीया का दूसरा पहलू वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि वसीयत के समर्थन में कोई साक्ष्य एवं गवाह पेश नहीं किए जिससे यह ज्ञात हो सके कि वसीयत के बावजूद एडवर्स पजेशन है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद अस्वीकार योग्य है।

वादीया का वाद अस्वीकार किया जाता है।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक - 08-02-2021 को सुनाया गया।

B Kalbi
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.03.06 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested